कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–170957 / दिनांक–26.08.2013 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में Android आधारित स्मार्ट फोन मनरेगा कर्मियों को दिये जाने का निदेश प्राप्त है जिसके आलोक में इस जिले के 163 मनरेगा कर्मियों हेतु 163 Android आधारित स्मार्ट फोन का क्रय निम्न शर्तो के अधीन द्वि–लिफाफा पद्धति से मुहर बन्द निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा। इच्छुक फॉर्म / प्रतिष्ठान मुहर बन्द लिफाफे में दोनों निविदा यथा तकनीकी एवं वित्तीय दिनांक–18/8/14 को अपराह्न 3:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इसी तिथि को निविदा अपराह्न 4:00 बजे जिला क्रय समिति–सह–दर निर्धारण समिति द्वारा निविदादाताओं / उनके प्रतिनिधिगण के उपस्थिति में खोली जायेगी तथा विहित प्रक्रियानुसार निम्नतम दर का निर्धारण कर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। स्मार्ट फोन का नमूना निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. प्रत्येक निविदादाता को दस हजार रू0 का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को वाणिज्यकर विभाग का निबंधन प्रमाण पत्र एवं पैन नं0 का प्रमाण पत्र अद्‌यतन रिर्टन की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता फॉर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का अद्‌यतन शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित Specifications जो जिले के बेवसाईट WWW.eastchamparan.bih.nic.in पर प्रदर्शित है के अनुकूल स्मार्ट फोन का क्रय ही किया जाना है। अतएव उक्त बेवसाईट पर वर्णित Specifications के अनुकूल स्मार्ट फोन के नमूना पर ही विचार किया जायेगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते :–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
2. कार्यादेश के अनुरूप समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से जिला मुख्यालय में स्मार्ट फोन का आपूर्त्ति करना होगा।
3. स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दिया जायेगा एवं निम्नतम दर एवं शर्तो के अनुरूप एक से अधिक फॉमों को कार्यहित में कार्यादेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. स्मार्ट फोन का दर सभी कर VAT एवं आयकर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते :–

1. निविदा बिना कारण बताये स्थगित / रदद करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
2. किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. समय सीमा के अन्दर आदेश एवं निर्धारित मानक के अनुरूप आपूर्त्ति नहीं करने पर संबंधित फॉर्म / प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

विस्तृत जानकारी WWW.eastchamparan.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0
जिलाधिकारी
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक
पूर्वी चम्पारण, मोतिहार

ज्ञापांक–.. / दिनांक–.......................................

प्रतिलिपि :– सभी सदस्य जिला क्रय समिति –सह– दर निर्धारण समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं निविदा खोले जाने के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में उपस्थित रहने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेशित किया जाता है कि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रहेंगे एवं विभाग द्वारा निर्धारित Specifications के तहत स्मार्ट फोन चयन में सहयोग करेंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/7

जिलाधिकारी
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।